[redacted]

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

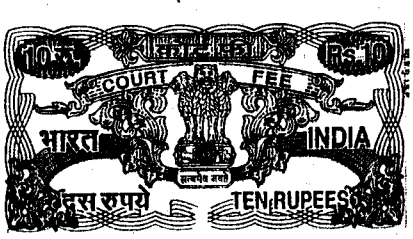

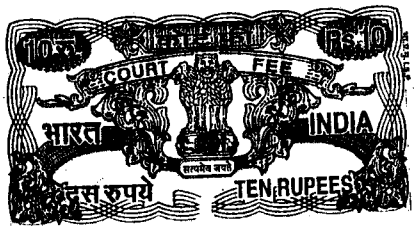

10/-

R 5254 ग्रा/16

रामविश्वास पिता श्री मेमानन्द जायसवाल उम्र 45 साल निवासी ग्राम हिरौंदी तहसील मझगवा जिला सतना म0प्र0 .... निगरानी कर्ता

बनाम

नन्द किशोर जायसवाल पिता श्री सतई जायसवाल निवासी ग्राम हिरौंदी तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 ... गैर निगराकार

श्री ...प्रसाद तिवारी
द्वारा ...
प्रस्तुत किया गया। 8-6-2016
सर्किट कोर्ट, रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त मझगवां तहसील मझगवा के प्रकरण क्रमांक 56अ12/2013-14 आदेश दिनांक 17.10.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0सं0 अधि0

मान्यवर,

उपरोक्त सम्बन्ध मे निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि रेस्पा0 नन्दकिशोर पिता सतइया कलार सा0 हिरौंदी द्वारा ग्राम कठौता की आराजी नं. 104,186 रकबा 0.376,0.846 है0, का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्यवाही कर वीरपुर पटवारी को सीमांकन किये जाने का आदेश जारी किया गया, वीरपुर पटवारी आदेश प्राप्त कर दिनांक 22.6.14 सीमांकन कियागया, जिसका प्रतिवेदन दिनांक 10.7.14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5254–दो/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–4–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त मझगवां तहसील मझगवा के प्रकरण कमांक 56/अ–12/13–14 में पारित आदेष दिनांक 17–10–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10–7–14 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर सरहदी कास्तकारों सहित आवेदक रामविश्वास के हस्ताक्षर अंकित है तथा स्थल पंचनामा पर भी आवेदक हस्ताक्षर अंकित है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी नहीं थी। आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षण के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर सीमांकन आदेश की पुष्टि की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधानिक नहीं	

कहा जा सकता। आवेदक उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्वयं की भूमि का भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य